

# कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़

शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर  
दूरभाष— 2236685— फैक्स— 0771—2236684, 2224476  
email : ceoraipur.cg@nic.in

क्र. 21/चार/निर्वाचन/2014/ ५० ५५  
प्रति,

रायपुर, दिनांक २७.०८.२०१५

01.	आजादी का अंतिम आंदोलन दल एम.आई.जी. डी.-27. शैलेन्द्र नगर, रायपुर	06.	गोडावना गणतंत्र पार्टी ग्राम व पो. तीवर्थ, तह. कटघोरा, जिला बिलासपुर
02.	भारतीय दलीत कांग्रेस चोपड़ा पारा, काली मंदिर के पीछे, अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छ.ग.	07.	जय छत्तीसगढ़ पार्टी 10, सेकेण्ड फ्लोर, शहीद वीरगारायण सिंह कम्पाउंड, नगर घड़ी चौक, जी.ई. रोड, रायपुर
03.	भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा चंद्र नगर, कुरुद रोड, कोहका, गिलाइ, तह. व जिला दुर्ग	08.	लोकतंत्र कांग्रेस पार्टी ई-1, 21/7, न्यू राजेन्द्र नगर, पो.आ. रविग्राम, रायपुर
04.	छत्तीसगढ़ विकास गंगा राष्ट्रीय पार्टी खोंगापानी, जिला कोरिया, छ.ग.	09.	पृथक बस्तर राज्य पार्टी 8, सिनियर एच.आई.जी. सेक्टर 3, शंकर नगर, रायपुर
05.	छत्तीसगढ़िया पार्टी हाउस नं. 93, ग्राम धनरस, पो. छुरी, तह. कटघोरा, जिला कोरबा, छ.ग.		

विषय:—पारदर्शिता के तहत पार्टी फण्ड, वार्षिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट एवं निर्वाचन व्यय संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने बाबत्।

संदर्भ:—इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 21/चार/निर्वाचन/2014/14006, दिनांक 29 नवम्बर, 2014, दिनांक 22 दिसम्बर, 2014 एवं पत्र दिनांक 30.06.2015

विषयान्तर्गत सांदर्भित पत्रों का अवलोकन करें, जिसमें पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा पार्टी फण्ड, वार्षिक लेखा एवं निर्वाचन व्ययों का लेखा के संबंध में आपके द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित जानकारी निम्नानुसार अपूर्ण एवं निर्धारित प्रपत्र में नहीं पाई गई है:—

सं.क्र.	पार्टी का नाम	वर्ष 2014-15 के लिये अशादान रिपोर्ट	वर्ष 2014-15 का वार्षिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट	लोकरागा चुनाव—2014 के निर्वाचन व्यय की जानकारी
01.	आजादी का अंतिम आंदोलन दल एम.आई.जी. डी. 27, शैलेन्द्र नगर, रायपुर	अप्राप्त	निर्धारित प्रारूप में नहीं	निर्धारित प्रारूप में नहीं

02.	भीरतीय दलीत कांग्रेस चौपडा पारा, काली मंदिन के पीछे, अंबिकापुर, जिला सरगुजा, ४८	निर्धारित प्रारूप में नहीं	प्राप्त	-
03.	भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा वंद्र नगर, कुरुक्षेत्र रोड, कोहका, भिलाई तहसील, जिला दुर्ग	निर्धारित प्रारूप में नहीं	अप्राप्त	प्राप्त
04.	छत्तीसगढ़ विकास गंगा राष्ट्रीय पार्टी खोगापानी, जिला कोरिया, ४८	निर्धारित प्रारूप में नहीं	अप्राप्त	अप्राप्त
05.	छत्तीसगढ़ आदिया पार्टी हाउस नं. 93 ग्राम धनरामा पो. छुरी, तहसील कटधोरा, जिला कोरवा ४८	निर्धारित प्रारूप में नहीं	प्राप्त	निर्धारित प्रारूप में नहीं
06.	गोडावना गणतंत्र पार्टी ग्राम व पो. तीवर्थ, तहसील कटधोरा, जिला बिलासपुर	निर्धारित प्रारूप में नहीं	अप्राप्त	निर्धारित प्रारूप में नहीं
07.	जय छत्तीसगढ़ पार्टी 10, सेकेण्ड फ्लॉर, शहीद वीरनारायण रिंग कम्पाउड, नगर घडी चौक, जी.ई.रोड, रायपुर	निर्धारित प्रारूप में नहीं	अप्राप्त	अप्राप्त
08.	लोकतंत्र कांग्रेस पार्टी ई 1, 21/7, न्यू राजेन्द्र नगर, पो. आ. रविग्राम, रायपुर	निर्धारित प्रारूप में नहीं	प्राप्त	निर्धारित प्रारूप में नहीं
09.	पृथक वरतार राज्य पार्टी ४, सिनियर एव.आई.जी. रोकेटर ३, शंकर नगर, रायपुर	निर्धारित प्रारूप में नहीं	अप्राप्त	-

कृपया वर्ष 2014–15 की पार्टी अशंदान रिपोर्ट (संलग्न निर्धारित फार्म–24क) में, वर्ष 2014–15 की वार्षिक लेखा परिक्षण संबंधी किन्हीं सन्धी लेखाकार (Chartered Accountants) की रिपोर्ट एवं लोकसभा आम चुनाव–2014 के दौरान निर्वाचन व्यय की विवरणी आयोग के संलग्न पत्र संख्या 76/ईई/2012-पीपीईएमएस, दिनांक 21 जनवरी, 2013 के अनुसार प्ररूप में दिनांक 07 सितम्बर, 2015 तक अनिवार्यतः इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें।

संलग्न:-

- (01) फार्म 24क की छायाप्रति (1पृष्ठ)
- (02) आयोग का पत्र दिनांक 21.01.2013 की प्रतिलिपि (कुल 18 पृष्ठ)

(निधि छिब्बर)  
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,  
छत्तीसगढ़, रायपुर

# कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़

शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर  
दूरभाष— 2236685— फैक्स— 0771—2236684, 2224476  
email :- ceoraipur.cg@nic.in

क्र. 21 / चार / निर्वाच्य / 2014 / ५० ८६

रायपुर, दिनांक २७. ०८. २०१५

प्रति,

01	अध्यक्ष, सुंदर समाज पार्टी गांव व पो. ननगोई, तह. खरसिया, जिला रायगढ़	02.	अध्यक्ष, प्रजातंत्र कांग्रेस पार्टी स्टेशन चौक, मुख्य डाकघर के सामने, जिला रायगढ़
----	---	-----	--

विषय:—पारदर्शिता के तहत पार्टी फण्ड, वार्षिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट एवं निर्वाचन व्यय संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने बाबत्।


संदर्भ:—इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 21/चार/निर्वाच्य/2014/14006, दिनांक 29 नवम्बर, 2014, दिनांक 22 दिसम्बर, 2014 एवं पत्र दिनांक 30.06.2015

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें, जिसमें भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार पंजीकृत और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा पारदर्शिता के तहत पार्टी फण्ड एवं निर्वाचन व्यय रिपोर्ट वाही गई थी, वांछित जानकारी आज दिनांक तक अपेक्षित है।

कृपया वर्ष 2014–15 की अशंदान रिपोर्ट संलग्न फार्म—24क में, वर्ष 2014–15 की वार्षिक लेखा परीक्षण संबंधी किन्हीं सन्धी सन्धी लेखाकार (Chartered Accountants) की रिपोर्ट एवं लोकसभा आम चुनाव—2014 के दौरान निर्वाचन व्यय की विवरणी पत्र के संलग्न आयोग के पत्र संख्या 76/ईई/2012—पीपीईएमएस, दिनांक 21 जनवरी, 2013 के अनुसार प्ररूप में दिनांक 07 सितम्बर, 2015 तक अनिवार्यतः इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें।

संलग्न:—

- (01) फार्म 24क की धायाप्रति (1पृष्ठ)
- (02) आयोग का पत्र दिनांक 21.01.2013 की प्रतिलिपि (कुल 18 पृष्ठ)

  
(निधि छिबर)  
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,  
छत्तीसगढ़, रायपुर

# कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़

शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसंर, रायपुर  
दूरभाष— 2236685— फैक्स— 0771—2236684, 2224476  
email :- ceoraipur.cg@nic.in

क्र. 21/चार/निर्वाच्य/2014/ ५० ५६  
प्रति,

रायपुर, दिनांक 27.08.2015

अध्यक्ष,  
भारतीय प्रजातांत्रिक शुद्ध गांधीवादी कृषक दल  
मिसदा, जिला जांजगीर,  
विख्य. नवागढ़

विषय:-पारदर्शिता के तहत पार्टी फण्ड, वार्षिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट एवं निर्वाचन व्यय संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने बाबत्।


संदर्भ:-इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 21/चार/निर्वाच्य/2014/14006, दिनांक 29 नवम्बर, 2014, दिनांक 22 दिसम्बर, 2014 एवं पत्र दिनांक 30.06.2015

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें, जिसमें भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा पारदर्शिता के तहत पार्टी फण्ड एवं निर्वाचन व्यय रिपोर्ट चाही गई थी, वांछित जानकारी आज दिनांक तक अपेक्षित है।

कृपया वर्ष 2014–15 की अशंदान रिपोर्ट संलग्न फार्म-24क में, वर्ष 2014–15 की वार्षिक लेखा परीक्षण संबंधी किन्हीं सन्धी लेखाकार (Chartered Accountants) की रिपोर्ट एवं लोकसभा आम चुनाव—2014 के दौरान निर्वाचन व्यय की विवरणी पत्र के संलग्न आयोग के पत्र संख्या 76/ईई/2012-पीपीईएमएस, दिनांक 21 जनवरी, 2013 के अनुसार प्ररूप में दिनांक 07 सितम्बर, 2015 तक अनिवार्यतः इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें।

संलग्न:-

- (01) फार्म-24क की छायाप्रति (1पृष्ठ)
- (02) आयोग का पत्र दिनांक 21.01.2013 की प्रतिलिपि (कुल 18 पृष्ठ)

  
(निधि छिब्बर)

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,  
छत्तीसगढ़, रायपुर



# कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़

शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर  
दूरभाष— 2236685— फैक्स— 0771—2236684, 2224476  
email :- ceoraipur.cg@nic.in

क्र. 21 / चार / निर्वाच्य / 2014 / ५०५८  
प्रति,

रायपुर, दिनांक २७.०८.२०१५

01	अध्यक्ष, भारतीय स्वतंत्र पार्टी ग्राम—नौगाई, पी.ओ. रघुनाथनगर, तह. वट्ठूफनगर, जिला सरगुजा, छ.ग.	02.	अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ समाजवादी पार्टी रामानुजगंज रोड, संजय पार्क के सामने, अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ०ग०)
----	--	-----	---

विषय:-पारदर्शिता के तहत पार्टी फण्ड, वार्षिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट एवं निर्वाचन व्यय संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने बाबत।


संदर्भ:-इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 21/चार/निर्वाच्य/2014/14006, दिनांक 29 नवम्बर, 2014, दिनांक 22 दिसम्बर, 2014 एवं पत्र दिनांक 30.06.2015

विषयान्तर्गत रांदर्भित पत्रों का अवलोकन करें, जिसमें भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा पारदर्शिता के तहत पार्टी फण्ड एवं निर्वाचन व्यय रिपोर्ट चाही गई थी, वांछित जानकारी आज दिनांक तक अपेक्षित है।

कृपया वर्ष 2014–15 की अशंदान रिपोर्ट संलग्न फार्म—24क में, वर्ष 2014–15 की वार्षिक लेखा परिक्षण संबंधी किन्ही सन्धी लेखाकार (Chartered Accountants) की रिपोर्ट एवं लोकसभा आम चुनाव—2014 के दौरान निर्वाचन व्यय की विवरणी पत्र के संलग्न आयोग के पत्र संख्या 76/ईई/2012-पीपीईएमएस, दिनांक 21 जनवरी, 2013 के अनुसार प्ररूप में दिनांक 07 सितम्बर, 2015 तक अनिवार्यतः इस कार्यालय को भेजवाने का कष्ट करें।

संलग्न:-

- (01) फार्म-24क की छायाप्रति (1पृष्ठ)
- (02) आयोग का पत्र दिनांक 21.01.2013 की प्रतिलिपि (कुल 18 पृष्ठ)

  
(निधि छिब्बर)

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,  
छत्तीसगढ़, रायपुर

“साहज पंजीकरण साहज रांशोधन”



# कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़

शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर  
दूरभाष— 2236685— फैक्स— 0771—2236684, 2224476  
email :- ceoraipur.cg@nic.in

क्र. 21/चार/निर्वाच्य/2014/ १०५६

रायपुर, दिनांक 27.08.2015

प्रति,

01.	अध्यक्ष, भारतीय पिछड़ा दल ग्राम-खुजरी, पोस्ट सागर व्हाया चक्रमठा कैम्प, जिला बिलासपुर, छ.ग.	03.	अध्यक्ष, राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी सरखेल हाउस, तिफरा, बिलासपुर
02.	अध्यक्ष, भारतीय सदगावना समाज पार्टी खान मंजिल, खपरगंज, बिलासपुर, छ.ग.	04.	अध्यक्ष, युवा गणतंत्र पार्टी सरदार पटेल नगर, जमनीपाली-कोरबा, जिला बिलासपुर

विषय:-पारदर्शिता के तहत पार्टी फण्ड, वार्षिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट एवं निर्वाचन व्यय संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने बाबत।

संदर्भ:-इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 21/चार/निर्वाच्य/2014/ 14006, दिनांक 29 नवम्बर, 2014, दिनांक 22 दिसम्बर, 2014 एवं पत्र दिनांक 30.06.2015

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें, जिसमें भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार पंजीकृत और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा पारदर्शिता के तहत पार्टी फण्ड एवं निर्वाचन व्यय रिपोर्ट वाही गई थी, वांछित जानकारी आज दिनांक तक अपेक्षित है।

कृपया वर्ष 2014-15 की अशंदान रिपोर्ट संलग्न फार्म-24क में, वर्ष 2014-15 की वार्षिक लेखा परीक्षण संबंधी किसी सन्दी लेखाकार (Chartered Accountants) की रिपोर्ट एवं लोकसभा आम चुनाव-2014 के दौरान निर्वाचन व्यय की विवरणी पत्र के संलग्न आयोग के पत्र संख्या 76/ईई/2012-पीपीईएमएस, दिनांक 21 जनवरी, 2013 के अनुसार प्ररूप में दिनांक 07 सितम्बर, 2015 तक अनिवार्यतः इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें।

संलग्न:-

- (01) फार्म 24क की छायाप्रति (1पृष्ठ)
- (02) आयोग का पत्र दिनांक 21.01.2013 की प्रतिलिपि (कुल 18 पृष्ठ)

(निधि छिक्कर)  
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,  
छत्तीसगढ़, रायपुर

“राहजा पंजीकरण राहजा संशोधन”

# कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़

शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर  
दूरभाष— 2236685— फैक्स— 0771—2236684, 2224476  
email :- ceoraipur.cg@nic.in

क्र. 21 / चार / निर्वाच्य / 2014 / १४५६  
प्रति,

रायपुर, दिनांक २७.०८.२०१५

01.	अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ किसान मजदूर पार्टी हाउस ऑफ पी.आर.नेगी, झूले लाल धाम के पीछे, डॉ. भानू प्रताप सिंह गली, कटोरा तालाब, रायपुर	05.	अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विकास पार्टी ए-१२, फलैश विहार, न्यू पुरेना, पोस्ट रविग्राम, रायपुर
02.	अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ संयुक्त जातीय पार्टी बजरंग नगर (तात्यापारा वाड), रायपुर, ४.ग.	06.	अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ी समाज पार्टी हण्डीपारा, आजाद चौक, रायपुर
03.	अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनतांत्रिक दल शुक्ला भवन, बूढापारा, रायपुर	07.	अध्यक्ष, शक्ति सेना (भारत देश) सिमी भवन, नेशनल हाईवे 43, क्रास लेन तिराहा, देवपुरी, रायपुर
04.	अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव एकता कांग्रेस पार्टी गुरुद्वारा के सामने, स्टेशन रोड, रायपुर	08.	अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ नवनिर्माण सेना सी.आर. -12, आर.डी.ए. बिल्डिंग, गुरुनानक मार्केट, शारदा चौक, रायपुर

विषय:—पारदर्शिता के तहत पार्टी फण्ड, वार्षिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट एवं निर्वाचन व्यय संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने बाबत।


संदर्भ:—इस कार्यालय का पत्र क्रंगाक 21 / चार / निर्वाच्य / 2014 / 14006, दिनांक 29 नवम्बर, 2014, दिनांक 22 दिसम्बर, 2014 एवं पत्र दिनांक 30.06.2015

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें, जिसमें भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा पारदर्शिता के तहत पार्टी फण्ड एवं निर्वाचन व्यय रिपोर्ट चाही गई थी, वांछित जानकारी आज दिनांक तक अपेक्षित है।

कृपया वर्ष 2014-15 की अशंदान रिपोर्ट संलग्न फार्म-24क में, वर्ष 2014-15 की वार्षिक लेखा परिक्षण संबंधी किन्ही सनधी लेखाकार (Chartered Accountants) की रिपोर्ट एवं लोकसभा आम चुनाव-2014 के दौरान निर्वाचन व्यय की विवरणी पत्र के संलग्न आयोग के पत्र संख्या 76/ईई/2012-पीपीईएमएस, दिनांक 21 जनवरी, 2013 के अनुसार प्ररूप में दिनांक 07 सितम्बर, 2015 तक अनिवार्यतः इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें।

संलग्न:-

- (01) फार्म-24क की छायाप्रति (1पृष्ठ)
- (02) आयोग का पत्र दिनांक 21.01.2013 की प्रतिलिपि (कुल 18 पृष्ठ)



(निधि छिब्बर)

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,

छत्तीसगढ़, रायपुर



# कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़

शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर  
दूरभाष— 2236685— फैक्स— 0771—2236684, 2224476  
email :- ceoraipur.cg@nic.in

क्र. 21/चार/निर्वाचन/2014/ ५०५६  
प्रति,

रायपुर, दिनांक २७.०८.२०१५

01.	अध्यक्ष, आजाद जनता पार्टी 208, डिल्लग काम्पलेक्स, आकाशगंगा, सुपेला, गिलाई. जिला - दुर्ग	03.	अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ रवाभिमान मंच 21, बत्तीस बंगला, गिलाई नगर, जिला दुर्ग
02.	अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ मुक्ति गोर्चा पो.आ. दल्ली राजहरा, जिला दुर्ग, छ.ग.	04.	अध्यक्ष, राष्ट्रीय आदिवारी बहुजन पार्टी प्लॉट नं. 4, पुष्कर नगर, जुनवानी रोड, गिलाई. जिला दुर्ग

विषय:—पारदर्शिता के तहत पार्टी फण्ड, वार्षिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट एवं निर्वाचन व्यय संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने बाबत्।

संदर्भ:—इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 21/चार/निर्वाचन/2014/14006, दिनांक 29 नवम्बर, 2014, दिनांक 22 दिसम्बर, 2014 एवं पत्र दिनांक 30.06.2015

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें, जिसमें भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा पारदर्शिता के तहत पार्टी फण्ड एवं निर्वाचन व्यय रिपोर्ट चाही गई थी, वांछित जानकारी आज दिनांक तक अपेक्षित है।

कृपया वर्ष 2014–15 की अशंदान रिपोर्ट संलग्न फार्म—24क में, वर्ष 2014–15 की वार्षिक लेखा परीक्षण संबंधी किन्ही सनधी लेखाकार (Chartered Accountants) की रिपोर्ट एवं लोकसभा आम चुनाव—2014 के दौरान निर्वाचन व्यय की विवरणी पत्र के संलग्न आयोग के पत्र संख्या 76/ईई/2012-पीपीईएमएस, दिनांक 21 जनवरी, 2013 के अनुसार प्ररूप में दिनांक 07 सितम्बर, 2015 तक अनिवार्यतः इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें।

संलग्न:

- (01) फार्म 24क की छायाप्रति (1पृष्ठ)
- (02) आयोग का पत्र दिनांक 21.01.2013 की प्रतिलिपि (कुल 18 पृष्ठ)

(निधि छिब्बर)  
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,  
छत्तीसगढ़, रायपुर

“राहज पंजीकरण राहज रांशोधन”



# कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़

शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर  
दूरभाष— 2236685— फैक्स— 0771—2236684, 2224476  
email :- ceoraipur.cg@nic.in

क्र. 21/चार/निर्वाचय/2014/ ५०५७  
प्रति,

रायपुर, दिनांक २७.०८.२०१५

अध्यक्ष  
छत्तीसगढ़ विकास गंगा राष्ट्रीय पार्टी,  
खोंगापानी,  
जिला कोरिया

विषय:—पारदर्शिता के तहत पार्टी फण्ड, वार्षिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट एवं निर्वाचन व्यय संबंधी  
रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने बाबत्।

संदर्भ:—इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 21/चार/निर्वाचय/2014/14006, दिनांक 29  
नवम्बर, 2014, दिनांक 22 दिसम्बर, 2014 एवं पत्र दिनांक 30.06.2015

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें, जिसमें पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त  
राजनीतिक दलों द्वारा पार्टी फण्ड एवं निर्वाचन व्यय रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने संबंधी  
दिंशा—निर्देश के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार वर्ष 2015–16  
की अशंदान रिपोर्ट फार्म—24क (प्रतिलिपि संलग्न) में, वर्ष 2015–16 की वार्षिक लेखा  
परीक्षण संबंधी किन्हीं सनधी लेखाकार (Chartered Accountants) की रिपोर्ट दिनांक  
30 सितम्बर, 2015 तक अनिवार्यतः इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें।

संलग्न:— उपरोक्तानुसार।

(निधि छिक्कर)  
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,  
छत्तीसगढ़, रायपुर

# कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़

शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर  
दूरभाष— 2236685— फैक्स— 0771—2236684, 2224476  
email :- ceoraipur.cg@nic.in

क्र. 21 / चार / निर्वाच्य / 2014 / ५० ५७

रायपुर, दिनांक २७. ०८.२०१५

प्रति,

01.	अध्यक्ष, आजाद जगता पार्टी 208, डिल्लन काम्पलेक्स, आकाशगंगा, सुपेला, गिलाई, जिला - दुर्ग	04.	अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच 21, बत्तीरा बंगला, गिलाई नगर, जिला दुर्ग
02.	अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ गुकिता मोर्चा पो.आ. दल्ली राजहरा, जिला दुर्ग, छ.ग.	05.	अध्यक्ष, राष्ट्रीय आदिवासी बहुजन पार्टी प्लॉट नं. 4, पुष्पक नगर, जुनवानी रोड, गिलाई, जिला दुर्ग
03.	अध्यक्ष भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा चंद्र नगर, कुरुद रोड कोहका, गिलाई, तह.व जिला दुर्ग		

विषय:-पारदर्शिता के तहत पार्टी फण्ड, वार्षिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट एवं निर्वाचन व्यय संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने बाबत।

संदर्भ:-इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 21/ चार / निर्वाच्य / 2014 / 14006, दिनांक 29 नवम्बर, 2014, दिनांक 22 दिसम्बर, 2014 एवं पत्र दिनांक 30.06.2015

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें, जिसमें पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा पार्टी फण्ड एवं निर्वाचन व्यय रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने संबंधी दिशा-निर्देश के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार वर्ष 2015-16 की अशंदान रिपोर्ट फार्म-24क (प्रतिलिपि संलग्न) में, वर्ष 2015-16 की वार्षिक लेखा परीक्षण संबंधी किन्ही सनधी लेखाकार (Chartered Accountants) की रिपोर्ट दिनांक 30 सितम्बर, 2015 तक अनिवार्यतः इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(निधि छिब्बर)  
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,  
छत्तीसगढ़, रायपुर

“सहज पंजीकरण संहज रांशोधन”

# कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़

शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

टूरमाष— 2236685— फैक्स— 0771—2236684, 2224476

email : ceoraipur.cg@nic.in

क्र. 21 / चार / निर्वाच्य / 2014 / ५०५७

रायपुर, दिनांक २७.०८.२०१५

प्रति,

अध्यक्ष,

भारतीय प्रजातांत्रिक शुद्ध गांधीवादी कृषक दल

मिसदा, विखं, नवागढ़

जिला जांजगीर

विषय:—पारदर्शिता के तहत पार्टी फण्ड, वार्षिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट एवं निर्वाचन व्यय संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने बाबत।

संदर्भ:—इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 21/चार/निर्वाच्य/2014/14006, दिनांक 29 नवम्बर, 2014, दिनांक 22 दिसम्बर, 2014 एवं पत्र दिनांक 30.06.2015

विषयान्तर्गत रांदर्भित पत्रों का अवलोकन करें, जिसमें पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा पार्टी फण्ड एवं निर्वाचन व्यय रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने संबंधी दिशा—निर्देश के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार वर्ष 2015–16 की अशंदान रिपोर्ट फार्म-24क (प्रतिलिपि संलग्न) में, वर्ष 2015–16 की वार्षिक लेखा परीक्षण संबंधी किन्ही सन्धी लेखाकार (Chartered Accountants) की रिपोर्ट दिनांक 30 सितम्बर, 2015 तक अनिवार्यतः इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें।

संलग्न:— उपरोक्तानुसार।

(निधि छिब्बर)  
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,

छत्तीसगढ़, रायपुर

# कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़

शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर  
दूरभाष— 2236685— फैक्स— 0771—2236684, 2224476  
email :- ceoraipur.cg@nic.in

क्र. 21 / चार / निर्वाचय / 2014 / ५०५७  
प्रति,

रायपुर, दिनांक २७ ०८.२०१५

अध्यक्ष,  
छत्तीसगढिया पाटी,  
हाउस नं. 93, ग्राम धनरस, पो. छुरी,  
तह. कटघोरा,  
जिला कोरबा, छ.ग.

विषय:—पारदर्शिता के तहत पार्टी फण्ड, वार्षिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट एवं निर्वाचन व्यय संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने बाबत्।

संदर्भ:—इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 21/चार/निर्वाचय/2014/14006, दिनांक 29 नवम्बर, 2014, दिनांक 22 दिसम्बर, 2014 एवं पत्र दिनांक 30.06.2015

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें, जिसमें पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा पार्टी फण्ड एवं निर्वाचन व्यय रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने संबंधी दिशा—निर्देश के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार वर्ष 2015–16 की अशंदान रिपोर्ट फार्म—24क (प्रतिलिपि संलग्न) में, वर्ष 2015–16 की वार्षिक लेखा परीक्षण संबंधी किन्ही सनधी लेखाकार (Chartered Accountants) की रिपोर्ट दिनांक 30 सितम्बर, 2015 तक अनिवार्यतः इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें।

संलग्न:— उपरोक्तानुसार।

(निधि छिब्बर)  
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,  
छत्तीसगढ़, रायपुर

# कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़

शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर  
दूरभाष— 2236685— फैक्स— 0771—2236684, 2224476  
email :- ceoraipur.cg@nic.in

क्र. 21 / चार / निर्वाच्य / 2014 / १०५७  
प्रति,

रायपुर, दिनांक २७.०८.२०१५

01	अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ किसान मजदूर पार्टी हाउस ऑफ पी.आर.नेगी, झूले लाल धाम के पीछे, डॉ. भानू प्रताप सिंह गली, कटोरा तालाब, रायपुर	07.	अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विकास पार्टी ए-12, फ्लैश विहार, न्यू पुरेना, पोस्ट रविग्राम, रायपुर
02.	अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ सर्यक्ता जातीय पार्टी बजरंग नगर (तात्यापारा वार्ड), रायपुर, छ.ग.	08.	अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ी समाज पार्टी हण्डीपारा, आजाद चौक, रायपुर
03.	अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनतांत्रिक दल शुक्ला भवन, बूढापारा, रायपुर	09.	अध्यक्ष, शक्ति सेना (भारत देश) सिमी भवन, नेशनल हाईवे 43, क्रास लेन तिराहा, देवपुरी, रायपुर
04.	अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव एकता कांग्रेस पार्टी गुरुद्वारा के सामने, स्टेशन रोड, रायपुर	10.	अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ नवनिर्माण सेना सी.आर. -12, आर.डी.ए. बिल्डिंग, गुरुनानक मार्केट, शारदा चौक, रायपुर
05	अध्यक्ष आजादी का अंतिम आंदोलन दल एम.आई.जी. 27 शैलेन्द्र नगर, रायपुर	11	अध्यक्ष, जय छत्तीसगढ़ पार्टी 10, द्वितीय तल, शहीद वीरनारायण सिंह कम्पाउंड, नगर घड़ी चौक, जी.ई.रोड, रायपुर
06.	अध्यक्ष लोकतंत्र कांग्रेस पार्टी ई-1, 21/7, न्यू राजेन्द्र नगर पो.आर.रविग्राम, रायपुर	12	अध्यक्ष पृथक बस्तर राज्य पार्टी 8, सीनियर एच.आई.जी., सेक्टर-3, शंकर नगर, रायपुर

विषय:-पारदर्शिता के तहत पार्टी फण्ड, वार्षिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट एवं निर्वाचन व्यय संबंधी रिपोर्ट  
प्रस्तुत किये जाने बाबत।

संदर्भ:-इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 21/ चार / निर्वाच्य / 2014 / 14006, दिनांक 29 नवम्बर,  
2014, दिनांक 22 दिसम्बर, 2014 एवं पत्र दिनांक 30.06.2015

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें, जिसमें पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त  
राजनीतिक दलों द्वारा पार्टी फण्ड एवं निर्वाचन व्यय रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने संबंधी दिशा-निर्देश  
के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार वर्ष 2015-16 की अशंदान रिपोर्ट  
“साहज पंजीकरण साहज संशोधन”

**फार्म-24क** (प्रतिलिपि संलग्न) में, वर्ष 2015-16 की वार्षिक लेखा परिक्षण संबंधी किन्ही सन्धी  
लेखाकार (Chartered Accountants) की रिपोर्ट दिनांक. 30 सितम्बर, 2015 तक  
अनिवार्यतः इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(निधि छिक्कर)  
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,  
छत्तीसगढ़, रायपुर

# कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़

शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर  
दूरभाष— 2236685— फैक्स— 0771—2236684, 2224476  
email :- ceoraipur.cg@nic.in

क्र. 21/चार/निर्वाच्य/2014/ ५०५७  
प्रति,

रायपुर, दिनांक २७. ०८.२०१५

01	अध्यक्ष, सुंदर समाज पार्टी गांव व पो. ननगोई, तह. खरसिया, जिला रायगढ़	02.	अध्यक्ष, प्रजातंत्र कांग्रेस पार्टी स्टेशन चौक, मुख्य डाकघर के सामने, जिला रायगढ़
----	---	-----	--

विषय:-पारदर्शिता के तहत पार्टी फण्ड, वार्षिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट एवं निर्वाचन व्यय संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने बाबत।

संदर्भ:-इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 21/चार/निर्वाच्य/2014/ 14006, दिनांक 29 नवम्बर, 2014, दिनांक 22 दिसम्बर, 2014 एवं पत्र दिनांक 30.06.2015

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें, जिसमें पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा पार्टी फण्ड एवं निर्वाचन व्यय रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने संबंधी दिंशा-निर्देश के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार वर्ष 2015-16 की अशोदान रिपोर्ट फार्म-24क (प्रतिलिपि संलग्न) में, वर्ष 2015-16 की वार्षिक लेखा परीक्षण संबंधी किन्ही सन्धी लेखाकार (Chartered Accountants) की रिपोर्ट दिनांक 30 सितम्बर, 2015 तक अनिवार्यतः इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(निधि छिंबर)  
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,  
छत्तीसगढ़, रायपुर

# कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़

शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर  
दूरभाष— 2236685— फैक्स— 0771—2236684, 2224476  
email :- ceoraipur.cg@nic.in

क्र. 21/चार/निर्वाच्य/2014/ ५०५७

रायपुर, दिनांक २७.०८.२०१५

प्रति,

01.	अध्यक्ष, भारतीय स्वतंत्र पार्टी ग्राम—जौगाई, पी.ओ. रघुनाथनगर, तह. वटूफनगर, जिला सरगुजा, छ.ग.	03.	अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ समाजवादी पार्टी रामानुजगंज रोड, संजय पार्क के सामने, अंबिकापुर जिला सरगुजा (छ0ग0)
02.	अध्यक्ष, भारतीय दलीत कांग्रेस चोपड़ापारा, काली मंदिर के पीछे, अंबिकापुर, जिला सरगुजा		

विषय:—पारदर्शिता के तहत पार्टी फण्ड, वार्षिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट एवं निर्वाचन व्यय संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने बाबत्।

संदर्भ:—इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 21/चार/निर्वाच्य/2014/14006, दिनांक 29 नवम्बर, 2014, दिनांक 22 दिसम्बर, 2014 एवं पत्र दिनांक 30.06.2015

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें, जिसमें पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा पार्टी फण्ड एवं निर्वाचन व्यय रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने संबंधी दिशा—निर्देश के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार वर्ष 2015–16 की अशंदान रिपोर्ट फार्म—24क (प्रतिलिपि संलग्न) में, वर्ष 2015–16 की वार्षिक लेखा परीक्षण संबंधी किन्ही सन्धी लेखाकार (Chartered Accountants) की रिपोर्ट दिनांक 30 सितम्बर, 2015 तक अनिवार्यतः इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें।

संलग्न:— उपरोक्तानुसार।

(निधि छिक्कर)  
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,  
छत्तीसगढ़, रायपुर

“राहजा पंजीकरण राहजा रांशोधन”

# कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़

शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर  
दूरभाष— 2236685— फैक्स— 0771—2236684, 2224476  
email :- ceoraipur.cg@nic.in

क्र. 21 / चार / निर्वाच्य / 2014 / १७५७  
प्रति,

रायपुर, दिनांक २७. ०८.२०१५

01.	अध्यक्ष, भारतीय पिछड़ा दल ग्राम-खुजरी, पोस्ट सागर व्हाया चक्रमठा कैम्प, जिला बिलासपुर, छ.ग.	04.	अध्यक्ष, राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी सरखेल हाउस, तिफरा, बिलासपुर
02.	अध्यक्ष, भारतीय सदभावना समाज पार्टी खान मंजिल, खपरगंज, बिलासपुर, छ.ग.	05.	अध्यक्ष, युवा गणतंत्र पार्टी सरदार पटेल नगर, जमनीपाली-कोरबा, बिलासपुर जिला
03.	अध्यक्ष, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ग्राम व पो. तीवर्थ तह, कटघोरा, जिला बिलासपुर		

विषय:-पारदर्शिता के तहत् पार्टी फण्ड, वार्षिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट एवं निर्वाचन व्यय संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने बाबत्।

संदर्भ:-इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 21 / चार / निर्वाच्य / 2014 / 14006, दिनांक 29 नवम्बर, 2014, दिनांक 22 दिसम्बर, 2014 एवं पत्र दिनांक 30.06.2015

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें, जिसमें पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा पार्टी फण्ड एवं निर्वाचन व्यय रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने संबंधी दिशा-निर्देश के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार वर्ष 2015-16 की अशंदान रिपोर्ट फार्म-24क (प्रतिलिपि संलग्न) में, वर्ष 2015-16 की वार्षिक लेखा परीक्षण संबंधी किन्ही सन्धी लेखाकार (Chartered Accountants) की रिपोर्ट दिनांक 30 सितम्बर, 2015 तक अनिवार्यतः इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(निधि छिक्क)

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,

छत्तीसगढ़, रायपुर

“राहज पंजीकरण राहज संशोधन”

<sup>1</sup>प्ररूप 24क  
(नियम 85ख देखिए)

यह प्ररूप आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 139 के अधीन संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान राजनैतिक दल की आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख से पूर्व निर्वाचन आयोग के समक्ष फाइल किया जाना चाहिए और इस आशय का एक प्रमाणपत्र आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन छूट का दावा करने के लिए आय-कर विवरणी के साथ संलग्न किया जाना चाहिए ।]

1. राजनैतिक दल का नाम :
2. राजनैतिक दल की प्रास्तिका  
(मान्यताप्राप्त/ अमान्यताप्राप्त) :
3. राजनैतिक दल के मुख्यालय का पता :
4. निर्वाचन आयोग के पास राजनैतिक दल के रजिस्ट्रीकरण की तारीख :
5. स्थायी खाता सं.(पेन) और वह आय-कर वार्ड/  
सर्किल जहां राजनैतिक दल की विवरणी फाइल  
की जानी है.....
6. वित्तीय वर्ष 200 -200 के दौरान प्राप्त ऐसे अभिदायों के जो बीस हजार रुपए से अधिक हैं, व्यौरे -

क्रम सं.	अभिदात्री व्यक्ति/ कंपनी का नाम और पूरा पता	पेन (यदि कोई हो) और आय-कर वार्ड/ सर्किल	अभिदाय की रकम	अभिदाय की रीति। (चैक/ मांगदेय ड्राफ्ट/ नकद)	टिप्पणियां

\*चैक/ मांगदेय ड्राफ्ट द्वारा संदाय की दशा में, उस बैंक या बैंक की शाखा का नाम जिस पर चैक/ मांगदेय ड्राफ्ट लिखा गया है ।

7. यदि अभिदायी एक कंपनी है तो क्या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 239क के अधीन अधिकथित शर्तों का अनुपालन किया गया है (कंपनी से अभिप्राप्त इस आशय के प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्न की जानी चाहिए) ।

सत्यापन

मैं, .....(स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम) पुत्र/ पुत्री .....सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, इस प्ररूप में दी गई जानकारी ठीक, पूर्ण और सही तौर पर बताई गई है ।

मैं यह घोषणा करता हूं कि मैं, ऊपर नामित राजनैतिक दल की ओर से .....की अपनी हैसियत में इस प्ररूप को सत्यापित कर रहा हूं और मैं ऐसा करने के लिए सक्षम भी हूं ।

(कोषाध्यक्ष/ प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर और नाम)

तारीख : .....

स्थान : .....

<sup>1</sup> अधिसूचना सं. का० आ० 1283 (अ), तारीख 10 नवंबर 2003 द्वारा अंतःस्थापित ।

भारत निर्वाचन आयोग  
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

फाइल सं: 76/ईई/2012-पीपीईएमएस

दिनांक: 21 जनवरी, 2013

सेवा में,

अध्यक्ष/महासचिव  
(सभी राजनैतिक दल)

विषय:- राजनैतिक दलों द्वारा "निर्वाचन व्यय की विवरणी" फाइल करने के लिए प्रपत्र का आशोधन-विधान सभा निर्वाचनों के 75 दिनों/लोक निर्वाचनों के 90 दिनों के अंदर फाइल किया जाएगा।

महोदय,

1. मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशानुसार 'कॉमन कॉर्ज' बनाम भारत संघ एवं अन्य (एमआर 1996 एस सी 3081) के मामले में निर्वाचन आयोग ने अपने दिनांक 27.12.2001, 22.03.2004 तथा 13.01.2009 के पत्र द्वारा एक फार्मा निर्धारित किया है जिसमें राजनैतिक दलों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्रत्येक लोक सभा/राज्य विधान सभा के निर्वाचन के संबंध में अपने निर्वाचन व्यय का विवरण आयोग की संवीक्षा के लिए प्रस्तुत करें। राजनैतिक दलों द्वारा फाइल किए गए विवरण को आयोग की वेबसाइट पर रखा जाता है।
2. इसके अतिरिक्त मुझे यह सूचित करने का भी निदेश हुआ है कि सुसंगत सूचना पर और सुव्यवस्थित तथा संरचनाबद्ध तरीके से कार्यवाही करने के लिए आयोग द्वारा एक सॉफ्टवेयर का विकास किया जा रहा है। अतः, आयोग ने उक्त प्रपत्र में आशोधन किया है जो कि एतदद्वारा संलग्न किया जा रहा है तथा आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। उपर्युक्त आशोधित प्रपत्र पार्ट-क में पार्टी के केंद्रीय मुख्यालय पर व्यय के संबंध में सूचना उपलब्ध करवाता है, पार्टी के अथवा राज्य दलों (जिलों/स्थानीय इकाईयों सहित) द्वारा राज्य इकाई(इयों) पर सूचना भाग-ख में, सूचना का सार भाग 'ग' और भाग 'घ' में सत्यापन संबंधी सूचना उपलब्ध कराता है। व्यय के ब्यौरे प्रपत्र के अनुसार अनुसूचियों में उपलब्ध करवाए जाएंगे। संशोधित प्रपत्र में बेहतर स्पष्टता तथा जिम्मेवारी के लिए साधारण पार्टी प्रचार के लिए राजनैतिक दलों के खर्च तथा अभ्यर्थियों के नामे डाले जाने वाले खर्चों का भी द्विभाजन किया गया है।

3. दलों या उनके द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों द्वारा अधिकृत/उपगत व्ययों की संवीक्षा हेतु अपेक्षित सूचना मांगी गई है जिसके लिए उन्होंने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77(1) के स्पष्टीकरण (1) के अर्थों में, निर्वाचन व्ययों की अपनी विवरणी, जो कि उक्त अधिनियम की धारा 78 के अधीन फाइल की गई थी, में छूट का दावा किया था।
4. मुझे सभी राजनैतिक दलों को यह सूचित करने का भी निदेश हुआ है कि वे 01 जनवरी, 2013 के पश्चात होने वाले सभी निर्वाचनों के लिए इस संशोधित प्रपत्र में ही “निर्वाचन व्यय का विवरण” हाई प्रति और सी डी में सॉफ्ट प्रति में फाइल करेंगे।
5. इसे सभी संबंधितों के संज्ञान में लाया जाए और इस पत्र की पावती भेजें।

भवदीय,  
हस्तांतर  
(एस.के. रुडोला)  
सचिव

संलग्नक:- उपर्युक्त के अनुसार

प्रतिलिपि:- सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारी इसे राज्य में सभी राजनैतिक दलों की सूचना में लाएं।  
 – सभी जिला निर्वाचन अधिकारी  
 – सभी रिटर्निंग अधिकारी

## लोकसभा / विधान सभा के निर्वाचनों में राजनीतिक दल के निर्वाचन व्यय का विवरण

(निर्वाचन की घोषणा की तिथि से निर्वाचन सम्पन्न होने की तिथि तक)

1. राजनीतिक दल का नाम:.....
2. लोकसभा / राज्य के विधान सभा के लिए निर्वाचन..... (विधान सभा के मामले में राज्य के नाम का उल्लेख करें तथा जो संगत ना हो उसे काट दें)
3. निर्वाचन की घोषणा की तिथि.....
4. निर्वाचन सम्पन्न होने की तिथि.....

### भाक-क

#### 5. दल के केंद्रीय मुख्यालयों में उपगत / प्राधिकृत निर्वाचन व्यय का विवरण

5.1	<p>क. दल के केंद्रीय मुख्यालयों में दल की विधियों का 'अथ-शेष' (ओपनिंग बैलेस) (निर्वाचन की घोषणा की तिथि को)</p> <p>विवरण</p> <p>(i) हस्त रोकड़</p> <p>(ii) बैंक शेष (कृपया बैंक तथा शाखा का नाम दर्शाएँ)</p>	राशि
		राशि
5.2	<p>ख. निर्वाचन की घोषणा से निर्वाचन सम्पन्न होने की तिथि तक दल के केंद्रीय मुख्यालयों की सभी श्रोतों से कुल प्राप्तियां</p> <p>विवरण</p> <p>(i) नकद</p> <p>(ii) चैक अथवा ड्राफ्ट इत्यादि</p>	कुल राशि
		राशि
	<p>(iii) किसी अन्य रूप में (किसी व्यक्ति / सत्ता से प्राप्त मानार्थ वस्तुएँ अथवा सेवाएँ) (कृपया किसी व्यक्ति / सत्ता से मानार्थ रूप में प्राप्त ऐसी वस्तुएँ अथवा सेवाएँ जैसे—हैलीकॉप्टर सेवाएँ इत्यादि का विवरण तथा काल्पनिक मूल्य का उल्लेख करें)</p>	कुल
5.3	<p>क. निर्वाचन की घोषणा से निर्वाचन सम्पन्न होने की तिथि तक दल के केंद्रीय मुख्यालयों द्वारा सामान्य दल प्रचार के लिए उपगत / प्राधिकृत कुल व्यय (यदि एक से अधिक राज्य शामिल हों, तो दल के केंद्रीय मुख्यालयों द्वारा उपगत राज्यवार कुल व्ययों को अनुसूची-1 में दिया जाए)</p> <p>दल के केंद्रीय मुख्यालयों द्वारा कुल व्यय का विवरण</p> <p>(i) नकद</p> <p>(ii) चैक / ड्राफ्ट इत्यादि</p>	राशि

	(iii) प्राधिकृत व्यय, परन्तु निर्वाचन के सम्पन्न होने की तिथि को बकाया शेष	
	ख. दल के केंद्रीय मुख्यालयों द्वारा उपगत कुल प्राधिकृत उपरोक्त सामान्य दल प्रचार व्ययों का विवरण	कुल
	(i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के स्पष्टीकरण 1 में यथा विनिर्दिष्ट स्टार प्रचारकों का यात्रा व्यय (अनुसूची-2 में दिए गए फार्मेट में विवरणों को संलग्न किया जाए)	
	(ii) स्टार प्रचारकों की अपेक्षा नेताओं का यात्रा व्यय (विवरणों को अनुसूची-2क में दिए गए फार्मेट में संलग्न करें)	
	(iii) सामान्य दल प्रचार में मीडिया विज्ञापन (प्रिंट इलैक्ट्रोनिक, सामूहिक एसएमएस, केबल, वेबसाइट, टी.वी. चैनल इत्यादि) पर व्यय	
	(iv) सामान्य दल प्रचार के लिए पोस्टरों, बैनरों, बैजों, स्पीकरों, आर्चों, गेटों, कट-आउट, होडिंग, झण्डे इत्यादि सहित प्रचार सामग्रियों पर व्यय (विवरणों को अनुसूची-4 में दिए गए फार्मेट में संलग्न करें)	
	(v) सामान्य दल प्रचार के लिए जनसभाओं/जलूसों/रैली इत्यादि पर व्यय (विवरणों को अनुसूची-5 में दिए गए फार्मेट में संलग्न करें)	
	(vi) सामान्य दल प्रचार के लिए कोई अन्य व्यय (विवरणों को अनुसूची-6 में दिए गए फार्मेट में संलग्न करें)	समान्य पार्टी प्रचार पर कुल व्यय
5.4	दल के केंद्रीय मुख्यालयों द्वारा अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों के लिए उपगत/प्राधिकृत कुल व्यय	
	(i) दल के केंद्रीय मुख्यालयों द्वारा दल के अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों अथवा अन्य अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों को या तो नकद अथवा अन्य माध्यमों जैसे-चेक/डीडी/पी.ओ./आरटीजीएस/फन्ड ट्रान्सफर इत्यादि के द्वारा कुल एक मुश्त राशि का भुगतान। (विवरणों को अनुसूची-7 में दिए गए फार्मेट में संलग्न करें)	
	(ii) विशेष अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) के फोटो या नाम सहित मीडिया विज्ञापन (प्रिंट तथा इलैक्ट्रोनिक, थोक में एसएमएस, केबल, वेबसाइट, टीवी चैनल (इत्यादि) पर कुल व्यय अथवा ऐसे व्यय को अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) के निर्वाचन व्यय के नाम डालना। (विवरणों को अनुसूची 8 में दिए गए फार्मेट में संलग्न करें)	
	(iii) अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों के फोटो तथा/अथवा नाम सहित प्रचार सामग्री (जैसे पोस्टरों, बैनरों, निर्वाचन सामग्रियों इत्यादि) पर कुल व्यय (विवरणों को अनुसूची-9 में दिए गए फार्मेट में संलग्न करें)	
	(iv) स्टार प्रचारकों अथवा अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) सहित अन्य नेताओं की रैली में जन सभाओं/जलूसों इत्यादि (बैरीकेडों/ऑडियो सीडी इत्यादि/श्रोताओं/समर्थकों के लिए भाड़े में लिए गए वाहनों) पर कुल व्यय (सामान्य दल प्रचार के अलावा) (विवरणों को अनुसूची-10 में दिए गए फार्मेट में संलग्न करें)	
	(v) अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) के लिए कोई अन्य व्यय (विवरणों को अनुसूची-11 में दिए गए फार्मेट में संलग्न)	

	अभ्यर्थी / अभ्यर्थियों पर कुल व्यय		
5.5	दल (जिले एवं स्थानीय निकायों सहित) के राज्य इकाई (इकाईयों) के दल के केंद्रीय मुख्यालयों अथवा अन्य दल द्वारा निर्वाचन व्ययों (कृपया राज्यवार राशि दर्शाये) के लिए दी गई कुल एक मुश्त राशि, यदि राजनीतिक दल एक या एक से अधिक अवसर पर भुगतान करता है, तो तिथिवार विवरणों का उल्लेख किया जाए।		
	दल के राज्य इकाई का नाम जिसे भुगतान किया गया है। अन्य राजनीतिक दल (यदि कोई हो) का नाम	भुगतान की तारीख	नकद चेक / डीडी इत्यादि की संख्या
	1.		
	2.		
	3. इत्यादि		
5.6	निर्वाचन सम्पन्न होने पर दल के केंद्रीय मुख्यालयों में दल विधियों का अंतः शेष (क्लोजिंग बैलेंस)	कुल थवरण	
	(i) हस्त रोकड़		
	(ii) बैंक शेष (कृपया बैंक तथा शाखा के नाम का उल्लेख करें)		
		कुल	

6. .... राज्य के लिए सभी जिला स्तर तथा स्थानीय निकायों सहित दल की राज्य

इकाई द्वारा अथवा राज्यीय दल के मुख्यालय द्वारा उपगत) प्राधिकृत निर्वाचन व्यय का विवरण

I. यदि राजनीतिक दल एक या एक से अधिक राज्य में निर्वाचन व्ययों को उपगत/प्राधिकृत करता है, तो प्रत्येक राज्य का ब्यौरा इस प्रोफार्मा के अनुसार अलग कागज में दिया जाए,

II. राज्य के भीतर मुख्यालयों वाले राज्यीय राजनीतिक दल इस प्रोफार्मा में रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

6.1	राज्य इकाई (जिले स्तर की इकाईयों तथा स्थानीय इकाईयों सहित) का अथ शेष (ओपनिंग बैलेंस) (निर्वाचन की घोषणा की तिथि को) विवरण	राशि
	हस्त नकद	
	बैंक शेष (कृपया बैंक तथा शाखा का नाम उल्लेख करें)	
	कुल	
6.2	राज्य में जिला स्तर की इकाईयों तथा स्थानीय इकाईयों सहित राज्य इकाई द्वारा निर्वाचन की घोषणा की तिथि से निर्वाचन सम्पन्न होने की तिथि तक सभी स्त्रोतों से कुल प्राप्तियाँ	
	विवरण	राशि
	(i) नकद	
	(ii) चैक अथवा ड्राफ्ट आदि	
	(iii) किसी अन्य रूप में (किसी भी व्यक्ति/सत्ता से प्राप्त मानार्थ वस्तुएँ अथवा सेवाएँ) (कृपया किसी भी व्यक्ति/सत्ता से मानार्थ रूप में प्राप्त ऐसी वस्तुएँ अथवा सेवाएँ जैसे हैलीकॉप्टर सेवाएँ आदि के काल्पनिक मूल्य का उल्लेख करें)	
	कुल	
6.3	सामान्य दल प्रचार (निर्वाचन के घोषणा की तिथि से निर्वाचन सम्पन्न होने की तिथि तक) के लिए राज्य इकाई (जिला स्तर के इकाईयों तथा स्थानीय इकाईयों) द्वारा उपगत/प्राधिकृत कुल व्यय।	
	राज्य इकाई द्वारा कुल व्यय का विवरण	राशि
	(i) नकद	
	(ii) चैक अथवा ड्राफ्ट आदि	
	(iii) व्यय प्राधिकृत, परन्तु निर्वाचन सम्पन्न होने की तिथि पर बकाया राशि	
	कुल	
	ख. राज्य इकाई (जिला स्तर के इकाईयों तथा स्थानीय इकाईयों सहित) द्वारा उपगत सामान्य दल प्रचार के लिए व्यय का विवरण	
	(i) राज्य इकाई द्वारा उपगत स्टार प्रचारकों पर यात्रा व्यय (विवरणों को अनुसूची-12 में दिए गए फार्मेट में पृष्ठांकित करें)	
	(ii) राज्य इकाई द्वारा अन्य नेताओं पर यात्रा व्यय (विवरणों को अनुसूची-13 में दिए गए फार्मेट में पृष्ठांकित करें)	
	(iii) राज्य इकाई द्वारा सामान्य दल प्रचार के मीडिया विज्ञापन (प्रिन्ट तथा इलेक्ट्रॉनिक, थोक एसएमएस, कैबल, वेबसाइट तथा टीवी चैनल इत्यादि) पर व्यय। (विवरणों को अनुसूची-14 में दिए गए फार्मेट में पृष्ठांकित करें)	
	(iv) राज्य इकाई द्वारा सामान्य दल प्रचार के लिए पोर्टरों, बैनरों, बैज, स्टीकरों, आर्चेज, गेट, कट-आउट, होर्डिंग्स, झाण्डे इत्यादि सहित प्रचार सामग्रियों पर व्यय। (विवरणों को अनुसूची-15 में दिए गए फार्मेट में पृष्ठांकित करें)	
	(v) राज्य इकाई द्वारा सामान्य दल प्रचार के लिए जन सभाओं/जलूसों/रैली इत्यादि पर व्यय (विवरणों को अनुसूची-16 में दिए गए फार्मेट में संलग्न करें)	
	(vi) राज्य इकाई द्वारा सामान्य दल प्रचार के लिए कोई अन्य व्यय। (विवरणों को अनुसूची-17 में दिए गए फार्मेट में पृष्ठांकित करें)	
	कुल	

6.4	अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) (सामान्य दल प्रचार के अतिरिक्त) को आबंटित जिला स्तर की इकाईयों तथा स्थानीय सहित अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) के लिए राज्य इकाई द्वारा उपगत या प्राधिकृत कुल व्यय	
	(i) राज्य इकाई द्वारा दल के अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) अथवा अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) को नकदी या अन्य माध्यमों, यथा—चेक / डीडी / पीओ / आरटीजीएस / फन्ड ट्रान्सफर इत्यादि द्वारा कुल एक मुश्त भुगतान। (विवरणों को अनुसूची-18 में दिए गए फार्मेट में पृष्ठांकित करें)	
	(ii) राज्य इकाई द्वारा अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) के फोटो या नाम सहित पीडिया विज्ञापन (प्रिन्ट तथा इलेक्ट्रॉनिक थोक एसएमएस, केबल, वेबसाइट, टीवी चैनल इत्यादि) पर कुल व्यय। (विवरणों को अनुसूची-19 में दिए गए फार्मेट में पृष्ठांकित करें)	
	(iii) राज्य इकाई द्वारा अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) के फोटो तथा/अथवा नाम सहित प्रचार सामग्रियों (जैसे पोस्टरों, बैनरों, कट-आउटों, निर्वाचन सामग्रियों इत्यादि) पर कुल व्यय (विवरणों को अनुसूची-20 में दिए गए फार्मेट में पृष्ठांकित करें)	
	(iv) अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) के साथ स्टार प्रचारकों की रैली में बैरीकेटों/ऑडियो आदि/दर्शकों/समर्थकों के लिए किराए पर लिए गए वाहनों पर राज्य इकाई द्वारा कुल व्यय (सामान्य दल प्रचार के अतिरिक्त) (विवरणों को अनुसूची-21 में दिए गए फार्मेट में पृष्ठांकित करें)	
	(v) राज्य इकाई द्वारा अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) के लिए कोई अन्य व्यय (विवरणों को अनुसूची-22 में दिए गए फार्मेट में पृष्ठांकित करें)	
अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) पर कुल व्यय		
6.5	दल के राज्य इकाई (जिले तथा स्थानीय इकाईयों सहित) द्वारा निर्वाचन व्यर्थों के लिए दूसरे दल को दी गई कुल एक मुश्त राशि। यदि राजनीतिक दल एक या एक से अधिक अवसर पर भुगतान करते हैं, तो तिथिवार विवरणों का उल्लेख करना है।	
	दल के राज्य इकाई का नाम जिसे भुगतान की तिथि नकद चेक / डीडी राशि भुगतान किया गया है। अन्य, राजनीतिक इत्यादि की संख्या दल (यदि कोई हों) का नाम	(विधियाँ)
	1.	
	2.	
	3. इत्यादि	
कुल		
6.6	निर्वाचन सम्पन्न होने के पश्चात दल के राज्य इकाई (जिले एवं स्थानीय इकाईयों सहित) का अंत शेष	राशि
	विवरण	राशि
	(i) हस्त नकद	
	(ii) बैंक शेष (कृपया बैंक तथा शाखा के नाम का उल्लेख करें)	
		कुल

### भाग—ग

7. जैसा कि भाग—क तथा ख में सारणियों में निर्धारित है, सभी प्राप्तियों का सार तथा निर्वाचन के दौरान (निर्वाचन के घोषणा की तिथि से निर्वाचन सम्पन्न होने तक) राजनीतिक दल द्वारा उपगत/प्राधिकृत व्यय

क	दल का नाम	
ख	मतदान की तिथि (तिथियाँ)	
ग	निर्वाचन: (राज्य तथा विधान सभा/लोक सभा/निर्वाचन क्षेत्र के नाम का उल्लेख करें)	
घ	अथ शेष (पार्टी के केन्द्रीय मुख्यालय तथा राज्य/जिला/स्थानीय स्तर के इकाईयों सहित के लिए) विवरण	राशि
	(i) हस्त नकद {निर्वाचन से संबंधित सभी राज्यों का 5.1क (i) + 6.1 क (i)}	
	(ii) बैंक में नकद {निर्वाचन से संबंधित सभी राज्यों का 5.1क (ii) + 6.1 क (ii)}	
ङ	निर्वाचन की घोषणा की तिथि से निर्वाचन सम्पन्न होने की तिथि तथा (पार्टी के केन्द्रीय मुख्यालय तथा राज्य/जिला/स्थानीय स्तर के इकाईयों, दोनों में) कुल प्राप्तियाँ। विवरण	राशि
	(i) हस्त नकद {सभी राज्यों का 5.2क (i) + 6.2 क (i)}	
	(ii) चेक अथवा ड्राफट {सभी राज्यों का 5.2क (ii) + 6.2 क (ii)}	
	(iii) इसी प्रकार (अथवा मानार्थ प्राप्तियाँ) {निर्वाचन से संबंधित सभी राज्यों का 5.2क (iii) + 6.2 क (iii)}	
	कुल प्राप्ति (प्राप्तियाँ)	
च	निर्वाचन की घोषणा की तिथि से निर्वाचन सम्पन्न होने की तिथि तथा (केन्द्रीय मुख्यालय तथा राज्य/जिला/स्थानीय स्तर की इकाईयों, क्षेत्रों में) सामान्य दल प्रचार के लिए उपगत/प्राधिकृत कुल व्यय। विवरण	राशि
	I. नकद अथवा चेक/डीडी आदि {निर्वाचन से संबंधित सभी राज्यों का 5.3क (i) + 6.3 क (i)}	
	II. चेक अथवा ड्राफट {निर्वाचन से संबंधित सभी राज्यों का 5.3क (ii) + 6.3 क (ii)}	
	III. प्राधिकृत व्यय, परन्तु निर्वाचन सम्पन्न होने की तिथि को बकाया राशि शेष {निर्वाचन से संबंधित सभी राज्यों का 5.3क (iii) + 6.3 क (iii)}	
	IV. सामान्य दल प्रचार पर कुल व्यय	
छ	राजनीतिक दल द्वारा सामान्य दल प्रचार के अतिरिक्त अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) के लिए उपगत/प्राधिकृत कुल व्यय विवरण	राशि
	I. नकद अथवा चेक/डीडी आदि द्वारा अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) को भुगतान {निर्वाचन से संबंधित सभी राज्यों का 5.4क (i) + 6.4 क (i)}	

	<b>II. इसी प्रकार-</b> क. मीडिया को किए गए भुगतान {निर्वाचन से संबंधित सभी राज्यों का 5.4क (ii) + 6.4 क(ii)}	
	ख. प्रचार सामग्रियाँ {निर्वाचन से संबंधित सभी राज्यों का 5.4क (iii) + 6.4 क(iii)}	
	ग. जन सभाएँ, जलूसों आदि {निर्वाचन से संबंधित सभी राज्यों का 5.4क (iv) + 6.4 क(iv)}	
	घ. कोई अन्य व्यय {निर्वाचन से संबंधित सभी राज्यों का 5.4क(v) + 6.4क(v)}	
	<b>IV. अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) की कुल व्यय</b>	
ज.	समान्य दल प्रचार के लिए तथा अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) के लिए कुल व्यय (इस सारणी के ऊपर के च(iv) + छ(iv) का कुल जोड़	
झ.	अंत शेष (पार्टी के केन्द्रीय मुख्यालय तथा राज्य/जिला/स्थानीय स्तर की इकाईयों; दोनों में)	
	विवरण	राशि
	क. हस्त नकद {निर्वाचन से संबंधित सभी राज्यों का 5.6क(i) + 6.6क(i)}	
	ख. बैंक शेष {निर्वाचन से संबंधित सभी राज्यों का 5.6क(ii) + 6.6क(ii)}	
	ग. कुल अंत: शेष (व्होलोजिंग बैलेंस)	

## भाग—घ

### सत्यापन

मैं, श्री/श्रीमती..... एतदद्वारा सत्यापित एवं घोषित करता/करती हूँ कि निर्वाचन व्यय (भाग क, ख, ग) की विवरणी में दर्शाये गए निर्वाचन व्यय के लेखे लोकसभा/..... राज्य/विधान सभा के साधारण निर्वाचनों/उप-निर्वाचनों के संबंध में राजनीतिक दल {पार्टी के केन्द्रीय मुख्यालयों/राज्य इकाई (जिला स्तर तथा स्थानीय इकाईयों सहित)} द्वारा उपगत/प्राधिकृत निर्वाचन व्यय की सभी मर्दें शामिल हैं तथा उनमें से कुछ भी नहीं छुपाया गया है अथवा रोका गया है। प्रतिबंध लगाया गया है; तथा

निर्वाचन व्यय की उक्त विवरणी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास से सत्य एवं सही लेखा है तथा किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को, छिपाया नहीं गया है।

दिनांक

कोषाध्यक्ष अथवा प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर एवं मुहर

अथवा प्राधिकृत व्यक्ति

प्रति हस्ताक्षरित

पार्टी के अध्यक्ष/महा सचिव के हस्ताक्षर

लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित

लेखा परीक्षक के हस्ताक्षर एवं मुहर

\*जो लागू न हो, उसे हटा दें।

## पार्टी के केन्द्रीय मुख्यालयों द्वारा व्यय

अनुसूची 1					
क्रम सं०	राज्य का नाम	नकद	चेक इत्यादि	अधिकृत व्यय, परंतु जो निर्वाचन की समाप्ति की तारीख तक साधारण पार्टी प्रचार के लिए पार्टी के केन्द्रीय मुख्यालय द्वारा अधिकृत/उपगत राज्य-वार सकल व्यय का ब्यौरा	
1					
2					
3					
					कुल

अनुसूची 2						
पार्टी के केन्द्रीय मुख्यालय द्वारा अधिकृत/उपगत स्टार प्रचारक (घोषणा के पश्चात तथा नामांकन से पहले वाले व्यर्यों सहित) अन्य नेता (ओं) के यात्रा व्यय						
क्रम सं०	राज्य और स्थल	बैठक की तारीख	स्टार प्रचारक का नाम	यात्रा का प्रकार (टैक्सी, हेलीकॉप्टर, विमान आदि)	हेलीकॉप्टर या विमान के मामले में पाने वाले का नाम	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1						
2						
					कुल	

अनुसूची 2क						
पार्टी के केन्द्रीय मुख्यालय द्वारा अधिकृत/उपगत (घोषणा के पश्चात तथा नामांकन से पहले वाले व्यर्यों सहित) अन्य नेता (ओं) के यात्रा व्यय						
क्रम सं०	राज्य और स्थल	बैठक की तारीख	नेता का नाम	यात्रा का प्रकार (टैक्सी, हेलीकॉप्टर, विमान आदि)	हेलीकॉप्टर या विमान के मामले में पाने वाले का नाम	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1						
2						
					कुल	

अनुसूची 3					
पार्टी के केन्द्रीय मुख्यालय द्वारा अधिकृत/उपगत साधारण पार्टी प्रचार के लिए मीडिया विज्ञापन (प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक, थोक एस एस, केबल, वेबसाइट तथा टीवी चैनल इत्यादि) पर व्यय					
क्रम सं	राज्य	पाने वाले का नाम	मीडिया का (प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक/ केबल, टीवी चैनल इत्यादि)	प्रिंट/टेलीकास्ट/एस एस की तारीख	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1					
2					
3					
				कुल	

अनुसूची 4				
पार्टी के केन्द्रीय मुख्यालय द्वारा अधिकृत/उपगत साधारण पार्टी प्रचार के लिए पोरटरों, बैनरों, बिल्लों, स्टिकरों, आर्च, गेट, कट-आउट्स, होर्डिंग, झंडो इत्यादि सहित प्रचार सामग्री (ग्रियों) पर व्यय				
क्रम सं	राज्य	विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम	मर्दों के व्यौरे	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1				
2				
3				
				कुल

अनुसूची 5				
पार्टी के केन्द्रीय मुख्यालय द्वारा अधिकृत/उपगत आम सभाओं/जुलूस/रैली (यथा मंच/श्रव्य/बैरीकेड/वाहन इत्यादि) पर व्यय				
क्रम सं	राज्य एवं स्थल	बैठक/जुलूस रैली की तारीख	मर्दों के व्यौरे	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1				
2				
3				
				कुल

अनुसूची 6					
पार्टी के केन्द्रीय मुख्यालय द्वारा अधिकृत/उपगत साधारण पार्टी प्रचार के लिए कोई अन्य व्यय					
क्रम सं0	राज्य	प्रयोजन	तारीख	मदों के ब्यौरे	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1					
2					
3					
कुल					

अनुसूची 7						
पार्टी के केन्द्रीय मुख्यालय द्वारा अधिकृत/उपगत पार्टी के अभ्यर्थी (र्थियों) या अन्य अभ्यर्थी (र्थियों) को नकद या अन्य माध्यमों यथा चेक/डी डी/पी ओ/आर टी जी एस/निधि हस्तारण इत्यादि में कुल एकमुश्त भुगतान। यदि राजनैतिक दल एक से अधिक अवसर पर अभ्यर्थी (र्थियों) को भुगतान करता है तो तारीख-वार ब्यौरों का उल्लेख किया जाएगा।						
क्रम सं0	राज्य का नाम विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम	अभ्यर्थी का नाम तथा पार्टी का नाम	भुगतान की तारीख (खें)	नकद राशि	चेक/डीडी संख्या इत्यादि तथा तारीख	भुगतान की गई कुल राशि
1						
2						
3						
4						
कुल						

अनुसूची 8					
अभ्यर्थी (र्थियों) के फोटो या नाम सहित मीडिया विज्ञापन (प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक, थोक एस एस, केबल, वेबसाइट, टीवी चैनल इत्यादि) पर कुल व्यय अथवा इस प्रकार के ऐसे व्यय जिन्हें पार्टी के केन्द्रीय मुख्यालयों द्वारा अधिकृत/उपगत किसी/किन्ही अभ्यर्थी (र्थियों) के नामे डाला जा सकता है					
क्रम सं0	राज्य	अभ्यर्थी का नाम	मीडिया का नाम (प्रिंट/इलेक्ट्रानिक/एस एस एस/केबल टी वी इत्यादि)	प्रिंट/प्रसारण/एस एस एस की तिथि/यां	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1					
2					
कुल					

अनुसूची 9						
क्रम सं0	राज्य	अभ्यर्थी का नाम	विधान सभा / संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम	मद के ब्यौरे	कुल राशि (बकाया राशि सहित)	
1						
2						
						कुल

अनुसूची 10						
क्रम सं0	राज्य और स्थल	स्टार प्रचारक (कों) का नाम	बैठक में भाग लेने वाले अभ्यर्थी (र्थियों) का नाम	बैठक की तारीख व स्थल	व्यय की मर्दें	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1						
2						
						कुल

अनुसूची 11						
क्रम सं0	राज्य	विधान सभा / संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम	अभ्यर्थी का नाम	मदों के ब्यौरे	कुल राशि (बकाया राशि सहित)	
1						
2						
3						
						कुल

## निर्वाचन व्ययों के राज्य-वार ब्यौरे

राज्य का नाम-----

अनुसूची 12		राज्य/जिला/स्थानीय ईकाईयों द्वारा अधिकृत/उपगत स्टार प्रचारक (कों) के कुल व्यय				
क्रम सं0	स्थल	बैठक की तारीख	स्टार प्रचारक (कों) का नाम	यात्रा का प्रकार (टैक्सी, हैलीकाप्टर, एयरक्राफ्ट आदि)	हैलीकाप्टर या एयरक्राफ्ट के मामले में पाने वाले का नाम	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1						
2						
3						
कुल						

अनुसूची 13		राज्य/जिले/स्थानीय ईकाईयों द्वारा अधिकृत/उपगत अन्य नेता (ओं) के यात्रा व्यय (घोषणा के पश्चात तथा नामांकन से पहले के व्ययों सहित)				
क्रम सं0	स्थल	बैठक की तारीख	नेता (ओं) का नाम	यात्रा का प्रकार (टैक्सी, हैलीकाप्टर, एयरक्राफ्ट आदि)	हैलीकाप्टर या एयरक्राफ्ट के मामले में पाने वाले का नाम	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1						
2						
कुल						

अनुसूची 14		राज्य/जिला/स्थानीय ईकाईयों द्वारा अधिकृत/उपगत सामान्य पार्टी प्रचार पर मीडिया विज्ञापन (प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक, थोक एस एस, केबल, वेबसाइट तथा टी वी चैनल इत्यादि) पर व्यय				
क्रम सं0	राज्य	पाने वाले का नाम	मीडिया का प्रकार (प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक/एस एस एस केबल टी वी, वेबसाइट, टी वी चैनल इत्यादि)	प्रिंट/टेलीकारस्ट/एस एस एस आदि की तारीख/खें	कुल राशि (बकाया राशि सहित)	
1						
2						

कुल

अनुसूची 15

राज्य/जिला/स्थानीय ईकाईयों द्वारा अधिकृत/उपगत सामान्य पार्टी प्रचार के लिए पोस्टरों, बैनरों, बिल्लों, स्टिकरों, आर्च, गेट, कट-आउट्स, होर्डिंग, झंडों इत्यादि सहित प्रचार सामग्री (गिर्याँ) पर व्यय

क्रम सं	राज्य	विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम	मर्दों के ब्यौरे	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1				
2				
3				
कुल				

अनुसूची 16

राज्य/जिला/स्थानीय ईकाईयों द्वारा अधिकृत/उपगत लोक बैठकों/जुलूस/रैली (मंच/श्रव्य/बैरीकेड/वाहन इत्यादि) पर व्यय

क्रम सं	राज्य एवं स्थल	बैठक/जुलूस रैली की तारीख	मर्दों के ब्यौरे	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1				
2				
कुल				

अनुसूची 17

राज्य/जिले/स्थानीय ईकाईयों द्वारा अधिकृत/उपगत साधारण पार्टी प्रचार के लिए अन्य कोई व्यय

क्रम सं	राज्य	प्रयोजन/मर्दों के ब्यौरे	व्यय की तारीख	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1				
2				
कुल				

अनुसूची 18

राज्य/जिला/स्थानीय ईकाईयों द्वारा अधिकृत/उपगत पार्टी के अभ्यर्थी (र्थियों), यदि कोई है, को नकदी या अन्य किसी माध्यम यथा चेक/डी डी/पी ओ/आर टी जी एस/निधि हस्तांतरण इत्यादि का कुल एकमुश्त भुगतान। यदि राज्य/जिला/स्थानीय ईकाईयों एक से अधिक अवसर पर अभ्यर्थी (र्थियों) को भुगतान करती है तो तारीख-वार व्यौरों का उल्लेख किया जाए :

क्रम सं०	राज्य का नाम/विभाग/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम	अभ्यर्थी का नाम तथा पार्टी का नाम	भुगतान की तारीख (खें)	नकद राशि	चेक/डी डी सं० इत्यादि तथा तारीख	संदत्त कुल राशि
1						
2						
3						
4						
कुल						

#### अनुसूची 19

अभ्यर्थी (र्थियों) के फोटो या नाम सहित विशेष अभ्यर्थी (र्थियों) के लिए राज्य/जिला/स्थानीय ईकाईयों द्वारा अधिकृत/उपगत मीडिया विज्ञापन (प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक, थोक एस एम एस, केबल, वेबसाइट, टी वी चैनल इत्यादि) पर कुल व्यय

क्रम सं०	राज्य	अभ्यर्थी का नाम	मीडिया का प्रकार (प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक/एस एम एस/केबल टी वी)	प्रिंट/टेलीकास्ट एस एम एस इत्यादि की तारीख (खें)	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1					
2					
3					
कुल					

### अनुसूची 20

अभ्यर्थी (र्थियों) के फोटो और / पोस्टर नाम सहित प्रचार सामग्री (यथा पोस्ट, बैनर्स, निर्वाचन सामग्री इत्यादि) पर कुल व्यय अथवा राज्य / जिला / स्थानीय ईकाईयों द्वारा अधिकृत / उपगत ऐसे व्यय जिसे / जिन्हें अभ्यर्थी (र्थियों) के नामे डाला जाएगा

क्रम संख्या	राज्य विधान सभा / संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम	अभ्यर्थी का नाम	मर्दों के व्यौरे	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1				
2				
			कुल	

### अनुसूची 21

स्टार प्रचारकों या अन्य नेताओं की रैली में दर्शकों/समर्थकों के लिए आम सभाओं/जुलूसों इत्यादि (वैरीकेड्स/श्रव्य इत्यादि/भाड़े पर वाहन) पर राज्य/जिलों/स्थानीय ईकाईयों (साधारण पार्टी प्रचार के अतिरिक्त) द्वारा अभ्यर्थी (र्थियों) के लिए अधिकृत/उपगत कुल व्यय

क्रम संख्या	राज्य एवं स्थल	तारीख	स्टार प्रचारक (कों) का / के नाम	अभ्यर्थी (र्थियों) का / के नाम	मर्दों के व्यौरे	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1						
2						
					कुल	

### अनुसूची 22

राज्य/जिलों/स्थानीय ईकाईयों द्वारा अभ्यर्थियों के लिए अधिकृत/उपगत अन्य कोई व्यय

क्रम संख्या	राज्य विधान सभा / संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम	अभ्यर्थी (र्थियों) का / के नाम	मर्दों के व्यौरे	कुल राशि (बकाया राशि सहित)
1				
2				
			कुल	